मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर

मेरठ रोड मुजफ्फरनगर

Email : mdamzn@yahoo.co.in Ph. 0131-2621922 Fax. 0131-2620859

पत्रांक– 915 /मु0वि0प्रा0/2019 दिनांक– 2/7/2021

सेवा में,

डा0 सतेन्द्र वर्मा पुत्र स्व0 श्री विरेन्द्र वर्मा

गऊशाला रोड–शामली

विषयः तलपट मानचित्र सं0–122/2016 में धनराशि जमा कराने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि आपके द्वारा तलपट मानचित्र सं0–122/2016 प्राधिकरण में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था जिस पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 10.4.2017 को निम्न शर्तो के अधीन सशर्त स्वीकृति प्रदान की गयी थी परन्तु धनराशि जमा न करने के कारण एवं प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र दिनांक 31.07.2018 के कम में स्वीकृत मानचित्र निरस्त कर दिया गया। आपके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.06.2019 के माध्यम से मानचित्र को पुनर्जीवित करते हुये स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है जिस पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 26.06.2021 को पुनर्जीवित करते हुये निम्न शर्तो के अधीन सशर्त प्रारम्भिक स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा मानचित्र में जमा होने वाली धनराशि का विवरण निम्नवत् है–

1.	मानचित्र शुल्क	रु0– 7,000.00
2.	वाह्य विकास शुल्क	रु0– 2,64,84,300.00
3.	निरीक्षण शुल्क	रु0– 12,05,996.00
4.	लेबर सेस	रु0– 5,21,800.00
	कुल योग	**रु0– 2,82,19,096.00**

शर्ते–

1. मानचित्र **शुल्क** रु0– 7,000.00 बाह्य विकास शुल्क रु0–2,64,84,300.00 निरीक्षण शुल्क रु0 12,05,996.00 लेबर सेस रु0–5,21,800.00 कुल रु0 2,82,19,096.00 प्राधिकरण कोष में जमा कराने होंगे।
2. भू–स्वामित्व का समस्त दायित्व विकासकर्ता का होगा।
3. रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं ट्रीटमेन्ट होने के बाद सिंचाई कार्यो में इस्तेमाल होने के उपरान्त सरप्लस पानी को नाले तक डिस्पोजल स्वयं के हर्जे खर्चे पर करने हेतु शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. आन्तरिक विकास कार्य की लागत के समतुल्य राशि (पी0डब्ल्यू0डी0 की एस0ओ0आर0 पर आधारित) के बराबर कीमत के भूखण्ड विकास प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक रखने होंगे।
5. आन्तरिक विकास कार्य अनुमोदित तलपट मानचित्र के अनुरुप कराने होंगें।
6. विद्युत सम्बन्धी समस्त कार्य पूर्ण कर उन्हें विद्युत विभाग को हस्तगत कराना होगा। उक्त आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. तलपट मानचित्र में दर्शाय गये भूखण्डों पर भवन निर्माण करने से पूर्व उनके मानचित्र प्राधिकरण से नियमानुसार स्वीकृत कराने होगें ।

8. तलपट मानचित्र की स्वीकृति की वैधता के अन्तर्गत समस्त आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण करने होंगे एवं विकास प्राधिकरण से सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
9. समस्त पार्क एवं खुले स्थल, सड़क, पानी आदि का निर्माण कार्य पूर्ण कर नगर पालिका को निःशुल्क हस्तान्तरित करने होंगे। उक्त आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. स्वीकृत ले–आउट के अनुसार स्थल पर निर्माण उसी दशा में अनुमन्य होगा जबकि वन विभाग शामली द्वारा वृक्षो के काटने की अनुमति प्रदान कर दी जायेगी। तथा आवेदक द्वारा अनुमति का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। अन्यथा की दशा में स्वीकृत ले–आउट मानचित्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
11. *यदि योजना में कतिपय ट्रंक सेवाओं जैसे रोड कनेक्शन जल निकासी जलापूर्ति, ड्रेनेज व सीवेज आदि हेतु कनेक्टिविटी प्राप्त की जाती है तो उसके लिए विकासकर्ता द्वारा शासकीय अभिकरण को समानुपातिक व्यय देना होगा।*
12. *किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय उपाध्यक्ष मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण का होगा।*
13. स्थल पर ग्रीन ऐरिया/सडको पर विद्यमान वृक्षों के अलावा काटे जाने वाले वृक्षो को काटने से पूर्व वन विभाग की अनुमति लेनी होगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। उक्त आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. प्रदूषण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार आवश्यक ई0डब्ल्यू0एस0/एल0आई0जी0 भवनों का निर्माण कर नियमानुसार हस्तगत करने होंगे। उक्त आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।
16. ले–आउट मानचित्र में देय शुल्को की कुल धनराशि 2,82,19,096.00 **(रुपये दो करोड बयासी लाख उन्नीस हजार छियान्वे मात्र)** को शासन की विकास शुल्क नियमावली के नियमानुसार जमा कराना होगा।
17. आवेदक को रेरा मे नियमानुसार पंजीकरण कराना होगा।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्तुत तलपट मानचित्र सं0–122/2016 में कुल देय धनांक रु0–**2,82,19,096.00** (दो करोड बयासी लाख उन्नीस हजार छियान्वें रुपये मात्र) को नियमानुसार ऑनलाईन प्राधिकरण कोष मे जमा कराने के साथ–साथ उपरोक्त तलपट मानचित्र में प्राधिकरण से डवलपमेन्ट/विकास अनुबन्ध एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

सहायक अभियन्ता,
मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण,
मुजफ्फरनगर।

E/Daily work/all latters /2069